

27/11
 प्रशासकीय सेवा / अर्द्ध उच्चपदाएं, पूर्व पंजी पर
 कक्षा अधिकतर उच्चपदाएं आपसि आकेन विभाजन
 प्रस्ताव पर हुनी गई। प्रस्तावित गामों और से आकेन
 आपसि विभाजन प्रस्ताव पर इस आशय की सेवा की
 गई कि प्रकरण में दिनांक 10/12/20 के निर्णय कि
 आकर प्रकरण में तहसीलदार जीवर गामों से निकाल
 प्रस्ताव क्रमिक-रि 705/97-6 रकमा 1-75 ईसर 910
 गाम चन्द्रपुरा के लक्ष्य में पदाकारान के मुद्दे पर
 लक्ष्य खासियों के मध्य आदि मिल ल एड काउन्सिल विभाजन
 कर प्रत्येक खासियार के लक्ष्य में आने वाली भूमि तक पहुंचने
 के लिए नाले का प्रावधान कर क्लॉरा प्रस्ताव भिन्नाने का कर
 आदेश दिया गया पर प्रान्त तहसीलदार जीवर गामों के
 मायालय राजा के निर्देशानुसार मौके पर नहीं आकर
 क्लॉरा प्रस्ताव बनाने की पाठना नहीं की गई
 अप्रतिपक्षियों के अपारिभा होने का कोई नोटिस ही
 दिया गया, ना ही उनके सामने कोई क्लॉरा प्रस्ताव
 तैयार किया गया। एड. जीवर गामों के पास के क्लॉरा
 उनके करने के मुद्दे कि उनके पास में क्लॉरा प्रस्ताव कि क्लॉरा
 दिया गया एवं शेष लक्ष्य खासियों के खासियारी लक्ष्य
 क्लॉरा से ही कर दी गई। ऐसी स्थिति में मायालय के
 निर्देशानुसार क्लॉरा प्रस्ताव तैयार नहीं होने के कारण
 उक्त क्लॉरा प्रस्ताव आपसि क्लॉरा सहमत नहीं है।
 अतः अधीन निवेदन है कि आपसि आकेन
 की स्वीकार कि आकर प्रस्ताव क्लॉरा प्रस्ताव मायालय जाने
 का कर आदेश आदि है।

कक्षा अधिकतर उच्चपदाएं हुनी गई। कक्षा पर
 भनग किया गया एवं प्रशासकी पर उपलब्ध पदावर्जों का
 अकालीन किया गया। अधिकतर आकेन करे उरा हीराने
 कक्षा आकेन के लक्ष्य के हीराने तथा अधिकतर वाडी उरा
 आकेन के लक्ष्य के लक्ष्य किया व क्लॉरा किया गया कि मौके
 पर तहसीलदार उरा समस्त खासियों के नोटिस जारी किया
 गया था पर एड.

प्रस्ताव पर हुनी गई। प्रस्ताविकाओं और भी आदिन
 आपसि विनायक प्रस्ताव पर इस आशय की प्रस्ताव की
 गई कि प्रस्ताव में दिनांक 10/12/20 के निर्णय किना
 आकर प्रस्ताव में तहसीलदार जीकर गाम्भीर सिविलियन
 प्रस्ताव प्रमाणिका न 705/97-6 रकबा 1-75 ई. र 913
 गाम्भीर चन्द्रपुरा के प्रस्ताव में पक्षकारान के सुधि पर
 लम्बी खजिदारी के मध्य कई सिट्टल एंड काउण्टल सिविलियन
 कर प्रत्येक खजिदार के सिट्टल में आने वाली भूमि तक पहुंचने
 के लिए नतीजे का प्रावधान कर कर्तव्य प्रस्ताव भिजवाने का कर
 शीघ्र किया गया पर प्रस्ताव तहसीलदार लीकर गाम्भीर न
 न्यायालय हाजा के निर्णयानुसार भेजे पर नहीं जाकर
 कर्तव्य प्रस्ताव बनाने की पाठ्यता नहीं की गई है
 आपसि सिविलियन के उपस्थित होने का कोई नोटिस ही
 दिया गया, न ही उनके सामने कोई कर्तव्य प्रस्ताव
 तैयार किया गया। यह (लीकर गाम्भीर ने पाठ्यता के कसाजिस
 उनके रहने के मुलाकिक उनके पक्ष में कर्तव्य प्रस्ताव किना
 दिया गया एवं शेष लम्बी खजिदारी के खजिदारी लुप्त
 कर सिट्टल की गई। उसी स्थिति में न्यायालय के
 निर्णयानुसार कर्तव्य प्रस्ताव तैयार नहीं होने के कारण
 उक्त कर्तव्य प्रस्ताव आपसि करी सहमत नहीं हैं।
 आशय: शेषान सिविलियन हैं कि आपसि आदिन
 की लीकर किना जाकर प्रस्ताव कर्तव्य प्रस्ताव मांगना जाने
 का कर आदिन (अतिरिक्त)।

बस अखिबन्ना उग्रपक्ष हुनी गई। कथम पर
 मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपस्थित दाताओं का
 अकामोचन किया गया। अखिबन्ना आदिन करे द्वारा हीराने
 बस आदिन के तथ्यों को हीरामा तथा अखिबन्ना का डारा
 आदिन तथ्यों के अखिबन्ना किना व कथन किना गया कि मैंने
 पर तहसीलदार द्वारा समस्त खजिदारी के नोटिस जारी किया
 गया था प्रस्ताव भेजे पर उपस्थित नहीं किये। तहसीलदार द्वारा
 अखिबन्ना रूप से कर्तव्य प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा आदिन करी
 लुप्त कर कर्तव्य प्रस्ताव आदिन द्वारा प्राथमिक डारा आदिन

पखण्ड अधिकारी, सीकर